रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230088 CG-DL-E-30092021-230088

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 567] No. 567] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 06/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.िन. **687**(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, **2017** (**2017** का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, **2017**, जिसे सा.का.िन. 690 (अ), दिनांक 28 जून, **2017** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी में,-
- (क) क्रम संख्या 3 के समक्ष,कॉलम (3) में, मद (iv) में, उपवाक्य (छ) में, शब्द, अंक, अक्षर और संकेत "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "की धारा 12कक या 12कख" अंतःस्थापित किया जाएगा;

5567 GI/2021 (1)

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

- (i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का अस्थायी या स्थायी हस्तांतरण या उसके उपयोग की अनुमति।	9	-";

- (ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -
 - (i) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (iग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iगक) मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं	9	-";

- (ii) मद (iघ) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख) और (iग)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग) और (iगक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iगक), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष,-

- (i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	9	-";

(इ) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iiiक) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं;	9	-
(क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या		
(ख) बैले, -		
अन्य स्थान जो कि नीचे (iiiक) में कवर नहीं किए गए हैं		
(iiiक) निम्नलिखित में प्रवेश के रूप में सेवाएं –	14	-";

(क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब की सुविधा हो या	
(ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग	

- (च) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में ,स्पष्टीकरण में, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची I, क्र. सं. 234" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची II, क्र. सं. 201क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) 'अनुबंध: सेवाओं के वर्गीकरण की योजना' में, क्रम संख्या 118 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"118क"	समूह 99654		भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन
118ख		996541	भारत में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल का बहुविध परिवहन "

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 जून, 2021, सा.का.िन. 402(अ), दिनांक 14 जून, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 06 /2021-Central Tax (Rate)

G.S.R.. 687(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (i) in the Table, -
 - (a) against serial number 3, in column (3), in item (iv), in clause (g), after the figures and letters "12AA", word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
 - (b) in serial number 17, -
 - (i) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;
 - (ii) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right.	9	-";

- (c) against serial number 26, in column (3), -
 - (A) after item (ic) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(ica) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption	9	-";

- (B) in item (id), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib) and (ic)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic) and (ica)" shall be substituted;
- (C) in item (iv), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (id), (ii), (iia) and (iii)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (ica), (id), (ii), (iia) and (iii)" shall be substituted;
- (d) against serial number 27,-
 - (A) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;
 - (B) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; material recovery services	9	-";

(e) against serial number 34, for items (iii) and (iiia) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), following items and entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services by way of admission to;	9	-
(a) theme parks, water parks and any other place having joy rides, merry- go rounds, go carting, or		
(b) ballet, -		
other than any place covered by (iiia) below		
(iiia) Services by way of admission to (a) casinos or race clubs or any place having casinos or race clubs or (b) sporting events like Indian Premier League.	14	-";

- (f) against serial number 38, in column (3), in Explanation, for the figures, words and letter "234 of Schedule I", the figures, letter and words "201A of Schedule II" shall be substituted;
- (ii) in the "Annexure: Scheme of Classification of Services", after serial number 118 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"118a	Group 99654		Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India
118b		996541	Multimodal Transport of goods from a place in India to another place in India".

[भाग II—खण्ड 3(i)] 5

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2021 - Central Tax (Rate), dated the 14th June, 2021 vide number G.S.R. 402(E), dated the 14th June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 07/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 688(अ).-केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसुचना में, सारणी में, -

- (i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 9कक के सामने, कॉलम (3) में, अंकों "2020" के बाद, "जब भी पुनर्निर्धारित हो", शब्दों को अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रमांक 9कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कख	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले ए.एफ.सी. महिला एशिया कप, 2022 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और उसकी सहायक इकाइयों के द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रमाणित करें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: रूप से एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत किसी भी आयोजन से संबंधित हैं;

- (iv) कॉलम (3) में क्रम संख्या 9घ और 13 के सामने, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा:
- (v) क्रमांक 19क और 19ख के सामने, कॉलम (5) में, अंक "2021" के स्थान पर, "2022" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vii) क्रमांक 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"61क	शीर्षक 9991	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।	शून्य	शून्य";

- (viii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "कुल व्यय" के पश्चात, अंक, प्रतीक और शब्द "का 75% या अधिक" को अन्त:स्थापित किया जाएगा:
- (ix) क्रमांक 74क और 80 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 82क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अन्त:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82ख	शीर्ष 9996	एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	शून्य	शून्य";
	9996	कायक्रमा म प्रवश के आधकार के माध्यम स सवाए		

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरय]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2020-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 16 अक्टूबर, 2020, सा.का.नि. 643 (अ), दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 07 /2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 688(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

- (i) against serial number 1, in column (3), after the figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (ii) against serial number 9AA, in column (3), after the words "hosted in India", the words "whenever rescheduled" shall be inserted;
- (iii) after serial number 9AA and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-	99	Services provided by and to Asian Football Confederation (AFC) and its subsidiaries directly or indirectly related to		Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to

any of the events under AFC Women's	any of the events under AFC Women's Asia
Asia Cup 2022 to be hosted in India.	Cup 2022.";

- (iv) against serial numbers 9D and 13, in column (3), after the figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (v) against serial numbers 19A and 19B, in column (5), for the figures "2021", the figures "2022" shall be substituted;
- (vi) serial number 43 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vii) after serial number 61 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"61A	Heading 9991	Services by way of granting National Permit to a goods carriage to operate through-out India / contiguous States.	Nil	Nil";

- (viii) against serial number 72, in column (3), after the words "for which", the figures, symbol and words "75% or more of the" shall be inserted;
- (ix) against serial numbers 74A and 80, in column (3), after the figures and letters "12AA", word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (x) after serial number 82A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82B	_	Services by way of right to admission to the events organised under AFC Women's Asia Cup 2022	Nil	Nil";

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 05/2020 - Central Tax (Rate), dated the 16th October, 2020, published vide number G.S.R. 643(E), dated the 16th October, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 06/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 689(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (iii), (iv) और (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 683 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष,कॉलम (3) में, मद (iv) में, उपवाक्य (छ) में, शब्द, अंक, अक्षर और संकेत "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "की धारा 12कक या 12कख" अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

- (i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का अस्थायी या स्थायी हस्तांतरण या उसके उपयोग की	18	-";
अनुमति।		

- (ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -
 - (i) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (iग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iगक) मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं	18	-";

- (ii) मद (iघ) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख) और (iग)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग) और (iगक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iगक), (iघ), (ii), (iiक), और (iii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष.-

- (i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा. यथा:-

(3)	(4)	(5)
"अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	18	-";

(इ.) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iiiक) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं;	18	-
(क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या		
(ख) बैले, -		

अन्य स्थान जो कि नीचे (iiiक) में कवर नहीं किए गए हैं		
(iiiक) निम्नलिखित में प्रवेश के रूप में सेवाएं –	28	-";
(क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब की सुविधा हो या		
(ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग		

- (च) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची I,क्र. सं. 234" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची II, क्र. सं. 201क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरय]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 690 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 14 जून, 2021, सा.का.िन. 402(अ), दिनांक 14 जून, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 06/2021- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 8/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

- (a) against serial number 3, in column (3), in item (iv), in clause (g), after figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (b) in serial number 17, -
 - (i) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;
 - (ii) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right.	18	-";

(c) against serial number 26, in column (3), -

(i) after item (ic) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(ica) Services by way of job work in relation to manufacture of alcoholic liquor for human consumption	18	-";

- (ii) in item (id), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib) and (ic)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic) and (ica)" shall be substituted;
- (iii) in item (iv), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (id), (ii), (iia) and (iii)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (ica), (id), (ii), (iia) and (iii)" shall be substituted:
- (d) against serial number 27,-
 - (i) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;
 - (ii) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"Other manufacturing services; publishing, printing and reproduction services; material recovery services	18	-";

(e) against serial number 34, for items (iii) and (iiia) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), following items and entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services by way of admission to;	18	-
(a) theme parks, water parks and any other place having joy rides, merry- go rounds, go carting, or		
(b) ballet, -		
other than any place covered by (iiia) below		
(iiia) Services by way of admission to (a) casinos or race clubs or any place having casinos or race clubs or (b) sporting events like Indian Premier League.	28	-**;

- (f) against serial number 38, in column (3), in Explanation, for the figures, words and letter "234 of Schedule I", the figures, letter and words "201A of Schedule II" shall be substituted.
- 2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2021.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 08/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2021-Integrated Tax (Rate), dated the 14th June, 2021 vide number G.S.R. 402(E), dated the 14th June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 07/2021-एकीकृत कर (दर)

सा.का.िन. 690(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के साथ पिठत, एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के उपवाक्य (xxv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 10कक के सामने, कॉलम (3) में, अंकों "2020" के बाद, "जब भी पुनर्निर्धारित हो", शब्दों को अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रमांक 10कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10कख	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाले ए.एफ.सी. महिला एशिया कप, 2022 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और उसकी सहायक इकाइयों के द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रमाणित करें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: रूप से एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत किसी भी आयोजन से संबंधित हैं;

- (iv) कॉलम (3) में क्रम संख्या 10ड. और 14 के सामने, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 20क और 20ख के सामने, कॉलम (5) में, अंक "2021" के स्थान पर, "2022" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"64क	शीर्षक 9991	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।	शून्य	शून्य";

- (viii) क्रम संख्या 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "कुल व्यय" के पश्चात, अंक, प्रतीक और शब्द "का 75% या अधिक" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रमांक 77क और 83 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 85क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अन्त:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"85ख	शीर्ष 9996	एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	शून्य	शून्य";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू] राजीव रंजन. अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2020-एकीकृत कर (दर), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020, सा.का.िन. 643 (अ), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 07/2021- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 690(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.9/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

- (i) against serial number 1, in column (3), after the figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (ii) against serial number 10AA, in column (3), after the words "hosted in India", the words "whenever rescheduled" shall be inserted;
- (iii) after serial number 10AA and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
"10AB	Chapter	Services provided by and to	Nil	Provided that Director (Sports),		
	99	Asian Football Confederation		Ministry of Youth Affairs and		
		(AFC) and its subsidiaries		Sports certifies that the services are		
		directly or indirectly related to		directly or indirectly related to any		

any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022 to be hosted in India.	
--	--

- (iv) against serial numbers 10E and 14, in column (3), after the figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (v) against serial numbers 20A and 20B, in column (5), for the figures "2021", the figures "2022" shall be substituted;
- (vi) serial number 45 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vii) after serial number 64 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"64A	Heading 9991	Services by way of granting National Permit to a goods carriage to operate through- out India / contiguous States.		Nil";

- (viii) against serial number 75, in column (3), after the words "for which", the figures, symbol and words "75% or more of the" shall be inserted;
- (ix) against serial numbers 77A and 83, in column (3), after the figures and letters "12AA", word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (x) after serial number 85A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:

(1) (2)	(3)	(4)	(5)
"85B Headin 9996	Services by way of right to admission to the events organised under AFC Women's Asia Cup 2022	Nil	Nil";

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 9/2017 - Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 5/2020 – Integrated Tax (Rate), dated the 16th October, 2020 vide number G.S.R. 643(E), dated the 16th October, 2020.

अधिसचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 06/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 691(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv),

उपवाक्य (v) और उपवाक्य (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 3 के समक्ष,कॉलम (3) में, मद (iv) में, उपवाक्य (छ) में, शब्द, अंक, अक्षर और संकेत "आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)" के पश्चात्, शब्द, अंक और अक्षर "की धारा 12कक या 12कख" अंत:स्थापित किया जाएगा:

(ख) क्रम संख्या 17 में,-

- (i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(ii) बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का अस्थायी या स्थायी हस्तांतरण या उसके उपयोग की अनुमति।	9	-";

(ग) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, -

(i) कॉलम (3), (4) और (5) में, मद (iग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iगक) मानव के द्वारा उपभोग की जाने वाली एल्कोहलिक शराब के विनिर्माण से संबंधित जॉब वर्क के माध्यम से सेवाएं	9	-";

- (ii) मद (iघ) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख) और (iग)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग) और (iगक)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) मद (iv) में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (ii), (iia), और (iii)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(i), (iक), (iख), (iग), (iगक), (iघ), (ii), (iia), और (iii)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) क्रम संख्या 27 के समक्ष,-

- (i) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (3), (4) और (5) में मद (ii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"अन्य विनिर्माण सेवाएं; प्रकाशन, मुद्रण और पुनरुत्पादन सेवाएं; सामग्री वसूली सेवाएं	9	-";

(इ.) क्रम संख्या 34 के समक्ष, कॉलम (3), (4) और (5) में मद (iii) और (iiiक) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मदों और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) निम्नलिखित में प्रवेश के माध्यम से सेवाएं;	9	-
(क) थीम पार्क, वाटर पार्क और कोई अन्य स्थान जिसमें जॉय राइड्स, मेरी-गो राउंड, गो कार्टिंग की सुविधा हो, या		
(ख) बैले, -		
अन्य स्थान जो कि नीचे (iiiक) में कवर नहीं किए गए हैं		
(iiiक) निम्नलिखित में प्रवेश के रूप में सेवाएं –	14	-";
(क) कैसीनो या रेस क्लब या अन्य कोई स्थान जिसमें कैसीनो या रेस क्लब की सुविधा हो या		
(ख) खेल समारोह जैसे कि इंडियन प्रीमियर लीग		

- (च) क्रम संख्या 38 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण में, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची I, क्र. सं. 234" के स्थान पर, शब्द, अक्षर और अंक "अनुसूची II, क्र. सं. 201क" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- 2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 702 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2021-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 14, 2021, सा.का.िन. 404 (अ), दिनांक 14 जून, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 06/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 691(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.11/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28thJune, 2017, namely:-

- (a) against serial number 3, in column (3), in item (iv), in clause (g), after figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (b) in serial number 17, -
 - (i) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;

(ii) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely-

(3)	(4)	(5)
"(ii) Temporary or permanent transfer or permitting the use or enjoyment of Intellectual Property (IP) right.	9	-";

- (c) against serial number 26, in column (3), -
 - (i) after item (ic) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be inserted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(ica) Services by way of job work in relation to manufacture	9	-";
of alcoholic liquor for human consumption		

- (ii) in item (id), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib) and (ic)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic) and (ica)" shall be substituted;
- (iii) in item (iv), for the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (id), (ii), (iia) and (iii)", the brackets, letters and word "(i), (ia), (ib), (ic), (ica), (id), (ii), (iia) and (iii)" shall be substituted;
- (d) against serial number 27,-
 - (i) item (i) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be omitted;
 - (ii) for item (ii) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"Other manufacturing services; publishing, printing a reproduction services; material recovery services	and 9	-";

(e) against serial number 34, for items (iii) and (iiia) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), following items and entries shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services by way of admission to;	9	-
(a) theme parks, water parks and any other place having joy rides, merry- go rounds, go carting, or		
(b) ballet, -		
other than any place covered by (iiia) below		
(iiia) Services by way of admission to (a) casinos or race clubs or any place having casinos or race clubs or (b) sporting events like Indian Premier League.	14	-".

(f) against serial number 38, in column (3), in Explanation, for the figures, words and letter "234 of Schedule I", the figures, letter and words "201A of Schedule II" shall be substituted.

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 702 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 04/2021-Union Territory Tax (Rate), dated the 14th June, 2021 vide number G.S.R. 404(E), dated the 14th June, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 07/2021-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.िन. 692(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5), और धारा 148 के साथ पिठत, संघ राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) और (4), धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के उपवाक्य (iv) और उपवाक्य (xxvii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

क्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 9कक के सामने, कॉलम (3) में, अंकों "2020" के बाद, "जब भी पुनर्निर्धारित हो", शब्दों को अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रमांक 9कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9कख	99	भारत में आयोजित होने वाले ए.एफ.सी. महिला एशिया कप, 2022 के अंतर्गत किसी भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: एशियाई फुटबाल परिसंघ (ए.एफ.सी.) और उसकी सहायक इकाइयों के द्वारा या उनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं।		बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रमाणित करें कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: रूप से एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत किसी भी आयोजन से संबंधित हैं;

- (iv) कॉलम (3) में क्रम संख्या 9घ और 13 के सामने, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 19क और 19ख के सामने, कॉलम (5) में, अंक "2021" के स्थान पर, "2022" अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
- (vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"61क	शीर्षक 9991	संपूर्ण भारत/सन्निहित राज्यों में परिचालन के लिए माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय परमिट प्रदान करने के माध्यम से सेवाएं।	शून्य	शून्य";

- (viii) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "कुल व्यय" के पश्चात, अंक, प्रतीक और शब्द "का 75% या अधिक" को अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रमांक 74क और 80 के सामने, कॉलम (3) में, अंक और अक्षर "12कक" के बाद, शब्द, अंक और अक्षर "या 12कख" अन्त:स्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 82क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित को अन्त:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82ख		एएफसी महिला एशिया कप 2022 के तहत आयोजित कार्यक्रमों में प्रवेश के अधिकार के माध्यम से सेवाएं	शून्य	शून्य";

2. यह अधिसूचना 01 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/207/2021-टीआरय]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 703 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 05/2020-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020, सा.का.िन. 645 (अ), दिनांक 16 अक्तूबर, 2020 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 07/2021-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 692(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

- (i) against serial number 1, in column (3), after the figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (ii) against serial number 9AA, in column (3), after the words "hosted in India", the words "whenever rescheduled" shall be inserted;
- (iii) after serial number 9AA and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)		(5)
"9AB	Chapter 99	Services provided by and to Asian Football Confederation (AFC) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022 to be hosted in India.		Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022.";

- (iv) against serial numbers 9D and 13, in column (3), after the figures and letters "12AA", the word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (v) against serial numbers 19A and 19B, in column (5), for the figures "2021", the figures "2022" shall be substituted;
- (vi) serial number 43 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vii) after serial number 61 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"61A	Heading 9991	Services by way of granting National Permit to a goods carriage to operate through- out India / contiguous States.	Nil	Nil";

- (viii) against serial number 72, in column (3), after the word "for which", the figures, symbol and words "75% or more of the" shall be inserted;
- (ix) against serial numbers 74A and 80, in column (3), after the figures and letters "12AA", word, figures and letters "or 12AB" shall be inserted;
- (x) after serial number 82A and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"82B	_	Services by way of right to admission to the events organised under AFC Women's Asia Cup 2022	Nil	Nil".

[F. No. 354/207/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note: -The principal notification No. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28thJune, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 5/2020 – Union Territory Tax (Rate), dated the 16th October, 2020 vide number G.S.R. 645(E), dated the 16th October, 2020.